भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 214

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी सिद्धांत

***214. डॉ. संबित पात्राः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्ययोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या ईएसजी के संबंध में सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) मानकों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई विनियामक तंत्र विकसित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "पर्पस-वाशिंग" जैसी भ्रामक विपणन कार्यनीतियों, जिसमें कतिपय कंपनियां ईएसजी मानकों के प्रति प्रतिबद्धता का झूठा प्रदर्शन करती हैं, को रोकने के लिए एक कड़ा विनियामक ढांचा शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ईएसजी रेटिंग एजेंसियों के विनियमन और मानकीकरण की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी सिद्धांत के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर हेतु पूछे गए माननीय संसद सदस्य डॉ. संबित पात्रा द्वारा लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 214 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): दिनांक 10 मई, 2021 के परिपत्र के माध्यम से, सेबी ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के तहत एमसीए द्वारा तैयार किए गए उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के नौ सिद्धांतों के आधार पर ईएसजी मापदंडों पर प्रकटीकरण निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 से बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में बीआरएसआर रिपोर्टिंग अनिवार्य है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण की निगरानी के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को प्रथम-स्तरीय विनियामकों के रूप में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया है। प्रकटीकरण के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति के मामले में, इसकी जांच की जाती है, और जहां भी आवश्यक हो, सेबी द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग) सेबी ने ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है जो पर्पस-वाशिंग को "जिस उद्देश्य के लिए बांड जारी किए जाते हैं उसके बारे में झूठे, भ्रामक, अप्रमाणित, या अन्यथा अपूर्ण दावा करने" के रूप में परिभाषित करता है। सेबी ने एनसीएस (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां) विनियमों और प्रासंगिक सेबी परिपत्रों के तहत ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के लिए पर्पस-वाशिंग के विरुद्ध रक्षोपाय निर्धारित किए हैं। जारीकर्ताओं को केवल विनिर्दिष्ट पात्र उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग करना, निरंतर निगरानी करना और यह प्रकटीकरण करना कि वित्तपोषित कार्यकलाप ऑफर दस्तावेज़ में परिकल्पित पर्यावरणीय, सामाजिक और/या सतत उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं अथवा नहीं, नकारात्मक बाह्यताओं की मात्रा निर्धारित करना, और अधिकांश डिबेंचर धारकों द्वारा जहां आवश्यक हो वहां शीघ्र मोचन करने सहित निवेशकों को किसी भी विचलन का प्रकटीकरण करना अपेक्षित होता है।

इसके अलावा, जारीकर्ताओं को भ्रामक लेबल का उपयोग न करके, व्यापार-विनिमय को छिपाकर, डेटा के इच्छानुसार चयन (चेरी-पिकिंग), या तृतीय पक्षकार प्रमाणन के झूठे दावे करके पर्पस-वाशिंग की रोकथाम करना और निर्धारित रेटिंग का पालन करते हुए मुद्दे से जुड़े उच्चतम मानकों को बनाए रखना अपेक्षित होता है। ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता यथा विनिर्दिष्ट कार्यकलापों और दायित्वों के निर्वहन के लिए एक स्वतंत्र तृतीय-पक्षकार समीक्षक/प्रमाणक की नियुक्ति भी करेंगे।

(घ) भारत में ईएसजी वित्तपोषण परितंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सेबी ने ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं (ईआरपी) के लिए सेबी (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियम, 1999 के संशोधन और बाद में जारी एक मास्टर परिपत्र के माध्यम से एक विनियामक फ्रेमवर्क की शुरुआत की थी। इस फ्रेमवर्क के तहत, ईएसजी रेटिंग प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु किसी भी संस्था के लिए सेबी में पंजीकरण अनिवार्य है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विनियम में प्रत्येक निर्धारित रेटिंग के पीछे औचित्य का विस्तृत प्रकटीकरण अनिवार्य है, ताकि हितधारक अंतर्निहित कारकों का आकलन करने में सक्षम हो सकें। वर्तमान में, 19 ईआरपी सेबी में पंजीकृत हैं।
